न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 148/2024 दायर दिनांकः 07.11.2024

उनवान

1. नारायण आ० लालाजी जाति भील नि. कालीतलाई तहसील रायपुर

— प्रार्थी

बनाम

1. सोहनलाल जाटव आ० अमरलाल जाटव जाति जाटव नि. झालरापाटन हाल नि. पिडावा
2. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा झालरापाटन
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

अभिभाषक प्रार्थी — श्री विनोद जैन
अभिभाषक अप्राथी सं. 1 — श्री विनोद शर्मा
अप्राथी सं. 2 — एकतरफा
अप्राथी सं. 3 — पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक 27.02.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कालीतलाई पटवार हल्का कालीतलाई तह० रायपुर जिला झालावाड़ में खाता संख्या 63 की आराजी खसरा नं. 94 रकबा 0.6070 है० आराजी है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.04.2014 को खरीद की गई है। उपरोक्त आराजी इन्दौर कोटा रोड़ पर रोड़ से पश्चिम दिशा की ओर स्थित है तथा मौके पर मुख्य सड़क से लगवा आराजी पर कब्जा खरीद के समय से [illegible] रहा है। नकल जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न है। यह कि उपरोक्त आराजी [illegible] नम्बर 94 इन्दौर कोटा रोड से लगी पश्चिम दिशा में है। लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त खसरा नम्बरान बाबत जो तरमीम की है वह गलती से मैन रोड से पीछे की ओर कर दी है तथा खसरा नं. 171/94 को तरमीम में मुख्य सड़क पर बता दिया है जबकी अप्रार्थी सोहनलाल की तथा कथित खरीदशुदा भूमि मुख्य सड़क पर नहीं है। यह कि उपरोक्त आराजी खसरा नं. 94 की क्रय की गई भूमि मुख्य सड़क इन्दौर–कोटा रोड पर है लेकिन सहवन से नक्शे में तरमीम करते समय उपरोक्त खसरा नं. 94 को दुसरी जगह तरमीम कर दिया है जिससे प्रार्थी को काफी कठिनाई हो रही है। न्यायहित में प्रार्थी के मौके पर वास्तविक कब्जे अनुसार खसरा नं. 94 की आराजी को नक्शे में इन्दौर–कोटा रोड से लगवा तरमीम किया जाना आवश्यक है उक्त तरमीम से किसी भी खातेदार को कोई नुकसान नहीं होगा। यह कि प्रार्थी नवीन ऑनलाईन नक्शे में सुधार व शुद्धिकरण करवाने का अधिकारी है तथा अपने खाते कब्जे काश्त वाली भूमि खसरा नं. 94 को कब्जे मौके अनुसार नक्शे में आराजी की तरमीम इन्दौर कोटा रोड से लगवा करवाने का अधिकारी है। नवीन ऑनलाईन नक्शा गलत होने की वजह से प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। यह कि प्रार्थी ने नक्शे में दुरुस्ति एवं तरमीम कर कब्जे के अनुसार दुरुस्ति किये जाने का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब रायपुर को पेश किया जिस पर उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु परामर्श दिया। जो इस प्रार्थना पत्र को पेश करने का कारण है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के मौके पर वास्तविक कब्जे काश्त व खातेदारी की खसरा नं. 94 रकबा 0.6070 है. वाके ग्राम कालीतलाई तह० रायपुर को मुख्य सड़क इन्दौर–कोटा रोड से लगवा पश्चिम दिशा की तरफ तरमीम करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की कृपा करे।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] एवं अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। [illegible] जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना [illegible] है। प्रार्थी की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कोटा–इन्दौर रोड़ से नहीं लगी हुई है। अप्रार्थी नं. 1 के खसरा नं. 771/94 मुख्य कोटा–इन्दौर रोड़ से लगा हुआ है। और वर्तमान नक्शे में भी अंकित है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 गलत होने से अस्वीकार है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते वक्त कोई गलती नहीं हुई है। जबसे अप्रार्थी ने खसरा नं. 771/64 की आराजी खरीद की है तभी से अप्रार्थी की आराजी कोटा–इन्दौर रोड़ से लगी हुई है और उस पर अप्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के खसरे नं. 171/94 प्रार्थना पत्र में बताये है वह गलत है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी ने खसरा नं. 771/94 खरीद किया और उससे पूर्व के खातेदार भी नक्शे में जो वर्तमान में खसरा नम्बर अंकित है वही पर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। प्रार्थी के मन में बदनियती आने की वजह से प्रार्थी ने झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया। ताकि नक्शे में गलत तरमीम करा करके अपनी जमीन को रोड़ के किनारे लगी हुई बता कर अच्छा मूल्य प्राप्त करना चाहता है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 अस्वीकार है। यह कि खसरा नं. 94 के ही 771/94 बना हुआ है और खसरा नं. 771/94 नक्शे में कोटा–इन्दौर रोड़ से लगा हुआ है व खसरा नं. 94 इस नम्बर के पिछे अंकित है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा कितनी तारीख को तहसीलदार रायपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया वह तारीख प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं की है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र के अन्त में चाही प्रार्थना अस्वीकार है। **विशेष आपत्तिः–** यह कि पूराने लट्ठे वाले नक्शे में खसरा नं. 94 का सम्पूर्ण रकबा था और उसके बाद खसरा नम्बर 94 को अलंग खसरा बटे में डालकर 771/94 नक्शे में अंकित किया गया और नक्शे में तरमीम करके वर्तमान में जो कोटा–इन्दौर रोड़ से लगा हुआ है। वहां पर उस नम्बर को नक्शे में दर्शाया गया है जो सही है। अप्रार्थी ने सन् 2014 से आराजी खरीद की थी। उस समय से ही अप्रार्थी अपने खसरा नं. 771/94 पर काबिज काश्त है जो कोटा–इन्दौर रोड़ से लगा हुआ है। यह कि प्रार्थी ने पहले खसरा नं. 94 की रजिस्ट्री अपने नाम कराकर भूमि काबिज काश्त हुआ था उसके बाद अप्रार्थी ने उसके बाद खसरा नं. 771/94 की रजिस्ट्री कराई और वर्तमान में जो नक्शे में अंकित है उस जगह कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

संभाला जो कि कोटा–इन्दौर रोड से लगा हुआ था। प्रार्थी ने मिली भगत करके रजिस्ट्री में खसरा नं. 94 को रोड के किनारे बताया है जो गलत है। जबकि प्रार्थी की आराजी अप्रार्थी के खसरा नं. 771/94 के पिछे नक्शे में अंकित थी। प्रार्थी ने जब आराजी खसरा नं. 94 खरीद की उस समय भी खसरा नं. 94 नक्शे में वही अंकित था जहां अभी वर्तमान में अंकित है। यह कि प्रार्थी व पास के खेत वालो ने माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय के यहां रास्ते के लिए सुखाधिकार का वाद पेश किया था जिसमें भी खसरा नं. 771/94 को कोटा इन्दौर रोड के लगवा बताया और प्रार्थी के खेत को अप्रार्थी के खेत के बाद बताया जैसा कि अभी वर्तमान में नक्शे में तरमीम है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

3. अप्राथी संख्या 2 बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 08.01.2025 से अप्राथी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

4. पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्रांक 878 दिनांक 19.11.2024 से जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि भू. अभि. निरीक्षक कालीतलाई एव पटवारी हल्का कालीतलाई से उक्त तथ्यो की जांच करवाई गई जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी नारायण पुत्र लाला भील के ख.नं. की जांच करने पर पाया कि प्रार्थी ने उक्त ख.नं. पर मौके पर फसल काश्त कर रखी हैं और यह खसरा कोटा इन्दौर मार्ग पर लगा हुआ है और मौके पर टीनशेड भी लगा रखा है किन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम गलत कर रखी है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की जगह नक्शा लटठा में ख.नं. 771/94 रकबा 0.5059 है. भूमि की तरमीम व साहेनलाल पि. अमरलाल जाति यादव नि. झालरापाटन के नाम दर्ज एवं मौके पर जानकारी के अनुसार सोहनलाल का कब्जा नहीं है। मौके पर ख.नं. 94 के दक्षिण दिशा खाली भूमि होने से रास्ता निकला हुआ है जो रास्ता का उपयोग ग्रामवासियान व अन्य खातेदार के खेतो में आने जाने के काम में लिया जाता है। ततपश्चात तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्रांक 1343 दिनांक 07.11.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

एवं कमांक 1666 दिनांक 30.12.2025 से जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि भू.अभि.निरीक्षक कालीतलाई एव पटवारी हल्का कालीतलाई से उक्त तथ्यो की जांच करवाई गई जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी सोहनलाल पुत्र अमरलाल जाति यादव निवासी झालरापाटन ने अपनी आराजी खाता संख्या 204 ख.स. 771/94 रकबा 0.5059 हैक्ट. पर पडोसी खातेदार नारायण पुत्र लाला जाति भील द्वारा अवैध कब्जा एंव टीनशेड लगाकर दीवार खड़ी करने पर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया मौके पर उपस्थित होने पर पाया गया कि अप्रार्थी नारायण पुत्र लाल के द्वारा उक्त आराजी पर टीनशेड लगा रखा है। उक्त आराजी भूमि पर अप्रार्थी नारायण पुत्र लाल जाति भील विगत 11 वर्षो से काश्त करता आ रहा है। गत रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि सेग्रीगेशन से पूर्व मूल नक्शे लठठे मे ख.न. 94 के किसी भी खातेदार की तरमीम नक्शे लठते में नहीं की गई है। वर्तमान में जो तरमीम भू नक्शे पर की गई है वह वक्त सेग्रीगेशन की की गई है। वर्तमान में भी नक्शे लठठे में ख.न. 94 में किसी भी खातेदार के तरमीम नहीं की गई है। तरमीमं शुद्धी हेतु प्रार्थी एंव अप्रार्थी दोनो ने ही श्रीमान के न्यायालय पिडावा मे वाद दायर कर रखा है जो जेरकार है।

5. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कालीतलाई तहसील रायपुर की वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सं. 2034—37, 2043—46, 2047—50, 2051—54, 2067—70, जमाबंदी सं. 2075—78 के खाता सं. 63, खसरा नक्शा दिनांक 26.07.2024, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.04.2014, नामांतरण सं0 90 व 116 की सत्य प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2014, वादग्रस्त भूमि का फोटोग्राफ, सेटलमेन्ट विभाग के नये सेटलमेन्ट के प्रपत्र 8 अ मिलान क्षेत्रफल की प्रति एवं मदनलाल पिता देवा दास, गोकूल पिता गुलाब, कालुलाल पिता अमरचंद, हरिसिंह पिता अमरचंद, दिनेश कुमार पिता बापूदास, सुभाष पिता पुरीलाल, नंदूबाई पिता नानूराम, शांतिबाई पिता नानूराम, मोहनबाई पिता नानूराम AW1 to AW9 के शपथ पत्र पेश किये।

6. अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कालीतलाई तहसील रायपुर की वादग्रस्त ... ग्राम कालीतलाई का नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

किश्तवार, खाता सं. 2, 3, 35 जमाबंदी संवत 2055–58, खाता सं. 3, 47 जमाबंदी संवत 2059–62, खाता सं. 35, 101 जमाबंदी संवत 2047–50, ग्राम कालीतलाई का नक्शा किश्तवार एवं वादग्रस्त भूमि की नयी फोटोग्राफ पेश किया।

7. अप्रार्थी सं. 2 पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब के साथ पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.11.2024, खसरा नक्शा दिनांक 13.11.2024, भू. अभि. निरी. कालीतलाई की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस दिनांक 30.10.25, ग्राम कालीतलाई तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 63, 204, खसरा नक्शा दिनांक 30.10.2025, फोटोग्राफ एवं मौका रिपोर्ट क्रमांक 1343 दिनांक 07.11.2025 व 30.12.2025 मय जमाबंदी पेश की।

8. अभिभाषक प्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि .ग्राम कालीतलाई तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नं 94 रकबा 2–08 बीघा हाल खसरा नं 446 रकबा 0.1479 है0, खसरा नं 447 रकबा 0.0611 है, खसरा नं 517 रकबा 0.3983 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6073 है0 इन्दौर–झालावाड़ सड़क से लगवा सिंचित भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.04.2014 से खातेदार नन्दु बाई, मोहन बाई व शांन्ति बाई से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तब से उसी भूमि पर लगातार व शान्तिपूर्ण कब्जा कास्त चला आ रहा है। ***प्रार्थी के बैचान पत्र में भूमि को इन्दौर–जयपुर सड़क से लगवा सिंचित कृषि भूमि अंकित किया है।*** प्रार्थी ने अपनी भूमि की पत्थर की दिवार कर टीन शेड लगा रखा है। प्रार्थी द्वारा आपने वर्षो पुराने कब्जे की स्थिति एवं दिशा के संबंध में 08 पड़ोसी कास्तकारों के शपथ पत्र पेश किये जो प्रार्थी के कथनों को सही साबित करते है। *विक्रेता नन्दु [illegible] के पिता नानूराम भील को यह भूमि दिनांक [illegible] नामांतरण संख्या 90 से गैर खातेदारी [illegible] दिनांक 24.06. 1981 से आवंटन शर्ते पूरी होने पर खातेदारी [illegible] हुई थी। नानूराम भील का*

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible] (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त भूमि पर सन् 1972 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। आगे तर्क किया कि प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने के करीब एक माह बाद अप्रार्थी 1 द्वारा दिनांक 20.05.2014 को खसरा नं 771/94 रकबा 2 बीघा भूमि विक्रेता असलम बेग, रईस बेग, साबिर बेग, फरीदा बी व मेहरुन्निसा पिसरान मिर्जा जहूर बेग से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र में अप्रार्थी की भूमि को पड़त अंकित किया गया है और आज भी पड़त व खालाखड्डा के रूप में पड़ी हुई है। अप्रार्थी द्वारा उक्त पड़त व खालाखड्डा भूमि सस्ती दरों में क्रय किया था लेकिन तहसील रायपुर को 2019-20 में ऑनलाईन करते समय राजस्व कार्मिकों के साथ मिलकर बिना मौका निरीक्षण के ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम दर्ज करा ली है जिसे दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थी का अपनी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है और क्रय करने से पूर्व से ही पड़त पड़ी हुई है। अप्रार्थी का अपनी भूमि पर कब्जा नहीं है और इसीलिए अप्रार्थी द्वारा कब्जा प्राप्त करने के लिए अन्तर्गत धारा 183 आरटी एक्ट इसी न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने ना तो विक्रेताओं से भौतिक कब्जा प्राप्त किया था और ना ही वर्तमान में कब्जा है। अभिभाषक प्रार्थी पुनः तर्क किया कि तहसीलदार रायपुर के जवाब क्रमांक 878 दिनांक 19.11.2024, हल्का पटवारी रिपोर्ट 12.11.2024 एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट क्रमांक 1343 दिनांक 07.11.2025 से भी प्रार्थी को अनुतोष व कब्जा स्थित साबित होते है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व में विक्रय पत्र व कब्जा अनुसार दुरूस्ती की जावे।

9. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि ग्राम कालीतलाई का मूल खसरा नं 94 रकबा 9-06 बीघा अमर चन्द पुत्र देवा दांगी के खाते दर्ज था। जमाबंदी सम्वत 2055-58 से स्पष्ट है कि खातेदार अमर चन्द ने 02 बीघा का बेचान शहादत बेग पुत्र अहमद बेग को किया गया था जिसके नये [illegible] 94 [illegible] 02 बीघा दर्ज किया गया जबकि नानुराम मीना [illegible] नं 94/763 रकबा 2-08 बीघा दर्ज हुआ [illegible] 2-10 बीघा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं 762/94 रकबा 0=12 बीघा अमर मल के नाम शेष रही। बाद में साहबत बैग के मारिशानी से अप्रार्थी द्वारा दिनांक 20.05.2014 को इन्दौर-झालावाड़ मुख्य सड़क लगता 02 बीघा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था लेकिन लट्ठा नक्शा में संबंधित कार्मिकों द्वारा तरमीम नहीं की गयी थी जिसे सेटलमेन्ट के समय नक्शे में दर्ज किया गया था। अप्रार्थी वर्षों से सड़क के लगता हिस्से पर काबिज काश्त था लेकिन प्रार्थी द्वारा बलपूर्वक कब्जाकर ताकत के बल पर अप्रार्थी को बेदखल कर दिया गया और बाद में जबरन टीनशेड लगा दिया जिसकी शिकायत अप्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर झालावाड़, उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा व तहसीलदार रायपुर को दी गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि की 2019 में सेटलमेन्ट के दौरान गलत तरमीम कर दी गई थी तो उसे दुरूस्त कराने के लिए 05 साल बाद क्यो आये है? इससे जाहिर है कि प्रार्थी अस्वच्छ हाथों से अदालत में आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

10. पेशीकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम कालीतलाई के मूल सरकारी खसरा नं 94 के लट्ठा नक्शा में प्रार्थी व अप्रार्थी के खसरा नम्बरों सहित किसी भी खातेदार की तरमीम नहीं हो रखी है। प्रार्थी को बेचानकर्तागण के पिता नानूराम भील को यह भूमि 1977 में गैर खातेदारी में दर्ज हुई थी लेकिन लट्ठा नक्शा में आजतक तरमीम में नहीं हुई है। वर्तमान नक्शे में जो तरमीम हो रखी है वो सेटलमेन्ट के तत्कालिन पटवारी द्वारा की गई थी प्रार्थी नारायण का विगत 1 वर्षों से इन्दौर-झालावाड़ सड़क के लगता उत्तरी भाग में काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि की जगह खसरा नं 771/94 की तरमीम हो रखी है। अप्रार्थी रोहन लाल का अपनी भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रार्थी की भूमि के दक्षिण में जो भूमि पड़त पड़ी हुई है व खालखड्डर के रूप में काम आ रही है।

11. अभिभाषक प्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेशीकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम कालीतलाई के नामांतरण संख्या 90 दिनांक 08.11.1975 के अवलोकन से जाहिर है कि सरकारी भूमि खसरा नं. 94 रकबा 6–06 बीघा मे से 2–08 बीघा भूमि का नियमन कर नानूराम भील पूत्र घीसा भील निवासी कालीतलाई की गैर खातदारी में दर्ज हुई थी। जिसे नामांतरण संख्या 116 दिनांक 24.06.1981 से नानूराम भील की खातेदारी में दर्ज किया गया था। अतः जाहिर है कि नानूराम भील निवासी कालीतलाई का अपनी भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा था। नानूराम भील की फोत होने पर वादग्रस्त भूमि उनके वारीसान नन्दु बाई, मोहन बाई व शांन्ति बाई के खाते दर्ज हुई थीं। *प्रार्थी द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.04.2014 के अवलोकन से जाहिर है कि खातेदार नन्दु बाई, मोहन बाई व शांन्ति बाई द्वारा अपनी उक्त भूमि का बैचान प्रार्थी को कर कब्जा सौप दिया था। प्रार्थी के बैचान पत्र में भूमि को इन्दौर–जयपुर सड़क से लगवा सिंचित कृषि भूमि अंकित किया है लेकिन अप्रार्थी द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2014 के अवलोकन से अप्रार्थी की भूमि पडत पडी होना जाहिर है। प्रार्थी द्वारा भूमि कय कर कब्जा प्राप्त करने के करीब एक माह बाद अप्रार्थी द्वारा भूमि कय की गई है।* के तहसीलदार रायपुर के जवाब पत्रांक 878 दिनांक 19.11.2024 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि पर मौके पर फसल काश्त कर रखी हैं और यह खसरा कोटा इन्दौर मार्ग पर लगा हुआ है और मौके पर टीनशेड भी लगा रखा है किन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम गलत कर रखी है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की जगह नक्शा लटठा में ख.नं. 771/94 रकबा 0.5059 है. भूमि की तरमीम व साहेनलाल पि. अमरलाल जाति यादव नि. झालरापाटन के नाम दर्ज एवं मौके पर जानकारी के अनुसार सोहनलाल का कब्जा नहीं है।

तहसीलदार की मौका रिपोर्ट क्रमांक 1343 दिनांक 07.11.2025 एवं क्रमांक 1666 दिनांक 30.12.2025 से भी प्रार्थी को अनुतोष व कब्जा स्थित साबित होते है और अप्रार्थी का [illegible] नही होना साबित है।

12. प्रार्थी द्वारा अपने वर्षो [illegible] कब्जे की स्थिति एवं दिशा के संबंध में 08 पड़ोसी कास्तकारों के शपथ पत्र पेश किये है। [illegible] काश्तकार साक्ष्य गवाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

AW1 मदनलाल जिसका खसंरा नं. 760/94 है द्वारा प्रार्थी की भूमि को इन्दोर–कोटा रोड से लगवा पश्चिम दिशा की और बताते हुये खरीद के समय से ही नारायण भील का कब्जा चला आना बताया है। पहले मुख्य सडक से लेकर पश्चिम कि ओर इसी भूमि पर विक्रेता नंदूबाई , मोहनबाई व शांति बाई पिसरान नानूराम भील का कब्जा होना बताया है। उक्त भूमि पर सोहनलाल का कभी कब्जा होना नही बताया गया है। साक्ष्य गवाह AW2 गोकुल दांगी, AW3 कालूलाल दांगी, AW4 हरीसिंह दांगी एवं AW5 दिनेश कुमार बैरागी जिनके खसरा नं. 777/94 , 762/94 व 840/94 है ने भी प्रार्थी के अनुतोश एवं कब्जे की स्थिति को मुख्य सड़क से लगवा पश्चिम की ओर बताया है। इसी प्रकार AW6 सुभाश दांगी, AW7 नंदूबाई भील, AW8 शांतिबाई भील एवं AW9 गोहनबाई भील ने भी प्रार्थी के अनुतोश का समर्थन किया है।

13. लठ्ठा नक्शा में मूल खसरा नं. 94 रकबा 6–06 बीघा में किसी भी बटा नंबर की तरमीम नही हो रखी है। तहसील रायपुर को ऑनलाइन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान तत्कालीन राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी पुराने राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति का अवलोकन किये ऑनलाइन नक्शे मे तरमीम किया जाना जाहिर होता है जबकि सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको को बिना मौका निरीक्षण किये मूल लठ्ठा नक्शा के विरूद्व ऑनलाइन नक्शे में तरमीम करने का कोई अधिकार नही था।

14. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन एवं सेग्रीगेशन के दौरान की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से तत्पश्चात दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं ... की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तरदीक करते समय फर्द–बदर/चौसाला तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 131, 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सेग्रिगेशन के दौरान हुई त्रुटियो को धारा 131, 136 एलआर एक्ट के अधीन दूरूस्त करने की शक्तिया राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गई है। हस्तगत **प्रकरण में ग्राम कालीतलाई के मूल ख.नं. 94 रकबा 6—06 बीघा के नक्शे मे सेंग्रिगेंशन के दौरान प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 94 रकबा 2—08 बीघा यानि 0.6070 हेक्टेयर भूमि के विकय पत्र, मूल आवंटन/खातेदारी आदेश व मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति को ध्यान मे रखे बिना तरमीम त्रुटीपूर्ण की गई है** जिसे धारा 131, 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :—

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

15. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम कालीतलाई तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नं 94 रकबा 2—08 बीघा बाद नये सेटलमेंट हाल खसरा नं 446 रकबा 0.1479 है0, खसरा नं 447 रकबा 0.0611 है, खसरा नं 517 रकबा 0.3983 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6073 है0 के संबंध में प्रार्थी का नक्शे/फिल्ड बुक में तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

–:निर्णयात्मक आदेश:–

16. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू-राजस्व एक्ट बाबत दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किया जाता है। ग्राम कालीतलाई तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नं 64 रकबा 2.08 बीघा बाद नये सेटलमेंट हाल खसरा नं 446 रकबा 0.1479 है०, खसरा नं 447 रकबा [illegible] है, खसरा नं 517 रकबा 0.3983 है० कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] है० को राजस्व नक्शे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.04.2014 एवं मौके पर काबिज काश्त के आधार पर इन्दौर–झालावाड़ सड़क से लगता पश्चिम की ओर तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार रायपुर आदेशानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/26

(दिनेश कुमार मीणा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner